कार्यालय, नगरपालिकनिगम, भिलाई

रूचि की अभिव्यक्ति

क्र/परि0शा0/2025/ 1668 भिलाई दिनांक–10/01/2025

नगर पालिक निगम, भिलाई में स्थित रामनगर मुक्तिधाम का रखरखाव, उन्नयन एवं विकास कार्य तुम्हर शहर तुम्हर जिम्मेदारी के तहत निगम क्षेत्र में व्यक्ति/संस्था/फर्म/कंपनी को प्रदान करना चाहती है जिसके अंतर्गत इच्छुक व्यक्ति/आवदेक को रामनगर मुक्तिधाम का रखरखाव, उन्नयन, विकास करना होगा। इसके आवेदन के लिए नियमानुसार प्रकिया निर्धारित किया गया है –

1. दिनांक 10.01.2025 से **दिनांक 31.01.2025** सायं 05:30 बजे तक लिखित प्रस्ताव स्पीड पोस्ट/पंजीकृत डाक के माध्यम से दर आमंत्रण किया जाता है। विस्तृत नियम – शर्ते परियोजना विभाग से प्राप्त किया जा सकता है अथवा कार्यालय नगर पालिक निगम भिलाई की वेबसाईट www.bhilainagarnigam.com में देखी एवं डाउनलोड की जा सकती है।
2. दर दाता को तीन लिफाफा पद्धति में प्रस्ताव देना होगा, लिफाफा **"अ"** में निर्धारित अमानत राशि रु. 1,00,000.00 का एजेंसी एवं कार्यपालन अभियंता नगर पालिक निगम भिलाई को संयुक्त नाम से FDR (किसी राष्ट्रीकृत बैंक) एवं राशि रु. 5000.00 मात्र का किसी भी राष्ट्रीकृत बैंक का DD आयुक्त नगर पालिक निगम भिलाई के नाम से हो तथा आवेदक/फर्म का Registration, शपथ पत्र, व्यक्ति का पहचान पत्र (आधार कार्ड) वर्तमान निवास पता संबंधित दस्तावेज, पेनकार्ड एवं हस्ताक्षर करने वाले पदाधिकारी का अधिकार पत्र एवं **कार्य योजना** तथा लिफाफा **"ब"** में वित्तीय बीड (दर) तथा लिफाफा **"स"** में लिफाफा **"अ"** व **"ब"** को भरकर लिफाफा के ऊपर स्पष्ट शब्दों में कार्य का नाम एवं आवेदक का नाम एवं पता लिखकर मुख्य कार्यालय, परियोजना शाखा में स्पीड पोस्ट/रजिस्र्टड पोस्ट के माध्यम से **दिनांक 03.02.2025** को सायः 05:30 तक प्रस्तुत करना अनिवार्य है। प्रस्तुत लिफाफा **दिनांक 05.02.2025** को प्रातः 11:00 बजे उपस्थित निविदाकारों अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष खोली जावेगी।
3. प्रस्ताव स्वीकृत की सूचना पश्चात् 07 दिनो के भीतर इकरारनामा करना होगा। इकरारनामा न करने की स्थिति में आयुक्त नगर पालिक निगम भिलाई द्वारा प्रस्ताव निरस्त किया जा सकेगा। अनुबंध की स्थिति में कार्यादेश के पश्चात् 01 सप्ताह के अंदर संचालन, उन्नयन एवं रखरखाव का कार्य प्रारंभ करना होगा।
4. ऑफरदाता से अपेक्षा की जाती है कि दर निर्धारण करने के पूर्व संबंधित स्थल का निरीक्षण कर आवश्यक जानकारी प्राप्त कर लेवे।
5. मुक्तिधाम अनुबंधकर्ता को देखरेख एवं संपूर्ण रखरखाव एवं संचालन के लिए सौपा जायेगा।
6. मुक्तिधाम में प्रत्येक शव दहन के लिए दर प्रस्तुत कर सकते है।
7. अनुबंध अवधि के दौरान केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, नगरीय निकायों एवं नगर पालिक निगम द्वारा प्रचलित एवं समय–समय पर लागू की जाने वाले नियमों, अधिनियमों, आदेश निर्णय, संकल्पों का पालन करना होगा।
8. अनुबंधकर्ता एजेंसी द्वारा किया गया मुक्तिधाम में व्यय किसी भी स्थिति में आधिपत्य के अधिकार के आधार के रुप में प्रयोग नहीं लाया जा सकेगा।

क्रमशः

9. श्रम कानून का पूर्णतः पालन अनुबंधकर्ता एजेंसी को करना होगा तथा उनके श्रमिकों, कर्मकारों व कर्मचारियों के प्रति नगर पालिक निगम भिलाई की कोई जवाबदारी व दायित्व नहीं होगा। लेबर एक्ट कानून का पालन व जवाबदारी अनुबंधकर्ता एजेंसी की होगी। लगाए गए श्रमिकों का भुगतान शासन के नियमों के अंतर्गत कम से कम न्यूनतम श्रमिक दर अनुसार करना है।
10. मुक्तिधाम के अंदर अनुबंधकर्ता एजेंसी द्वारा विज्ञापन का प्रदर्शन प्रतिबंधित रहेगा।
11. कार्य पर लगाए गए परिवारिक सदस्य/श्रमिकों का पहचान पत्र अनुबंधकर्ता एजेंसी को देना होगा।
12. अनुबंधकर्ता एजेंसी द्वारा रखे गए कर्मचारियों के कार्य समय के दौरान मृत्यु / दुर्घटना के लिए अनुबंधकर्ता एजेंसी जवाबदार होगा।
13. मुक्तिधाम में प्रतिदिवस प्रत्येक शव दहन का संपूर्ण विवरण सत्यापित पंजी में दर्ज कराना होगा।
14. मृतकों के शव की अंत्येष्ठि क्रिया पूरे सम्मान सहित किया जाना होगा तथा अंत्येष्ठी पश्चात् अवशेषों को मृतक के परिजनों को सम्मानपूर्वक सौपना होगा। इसके अतिरिक्त तत्समय प्रचलित वैधानिक प्रावधानों का पालन अनुबंधकर्ता के लिए अनिवार्य होगा। वैधानिक पालनों / नियमों उल्लघन की दशा में अनुबंधकर्ता उत्तर दायी होगा।
15. अनुबंधकर्ता द्वारा यदि कोई अन्य सुझाव/कार्ययोजना प्रस्तुत करना चाहते है तो उसका उल्लेख EOI में अनिवार्य रुप से करना होगा।
16. अनुबंधकर्ता मुक्तिधाम में निगम द्वारा निर्धारित स्थल पर अपने माता पिता के संबंध में स्मृति लेख्य प्रदर्शित कर सकेगा।
17. अनुबंधकर्ता द्वारा मुक्तिधाम के विकास कार्य एवं वार्षिक रखरखाव हेतु प्रस्तावित व्यय राशि का विवरण देना अनिवार्य होगा।
18. कार्य योजना की राशि का 15% bank solvency जमा करना होगा।
19. प्रभारी अधिकारी द्वारा समय–समय पर दिए गए निर्देशों का पालन करना होगा।
20. संचालन के दौरान अनुबंधकर्ता एजेंसी को सभी प्रकार के आवश्यक संधारण का कार्य स्वंय करना होगा।
21. मुक्तिधाम में स्थित पौधो को सुरक्षित रखने एवं आवश्यकतानुसार अनुरुप सिचाई करना तथा मुक्तिधाम में साफ–सफाई व्यवस्था/स्वच्छता की संपूर्ण जिम्मेदारी अनुबंधकर्ता/एजेंसी की होगी।
22. मुक्तिधाम संचालन एवं रखरखाव का कार्य यदि संतोषजनक या सक्षम अधिकारी के निर्देशानुसार नहीं पाए जाने पर अथवा नियम शर्त के उल्लघन करने पर 01 माह का नोटिस देकर अनुबंध समाप्त किया जा सकेगा।
23. मुक्तिधाम में वर्तमान में स्थित संरचना / Structure building में परिवर्तन की स्थिति में आयुक्त नगर पालिक निगम भिलाई द्वारा अनुमोदन/अनुमति अनिवार्य होगा।

क्रमशः

24. अनुबंधकर्ता / एजेंसी के द्वारा निर्मित परिसंपत्तियों पर स्वामित्व / धारणाधिकार के संबंध में कोई भी दावा नगर पालिक निगम भिलाई के द्वारा स्वीकार नहीं होगा।
25. मुक्तिधाम परिसर में सी.सी.टी.वी. केमरा स्थापित करना होगा तथा 45 दिवस का Backup रखना अनिवार्य होगा।
26. ऑफर दर में मुक्तिधाम के उन्नयन, विकास कार्य एवं संचालन संबंधी समस्त कार्य योजना जमा करना होगा।
27. मुक्तिधाम में किसी भी प्रकार के विवाद या आपत्ति की स्थिति में आयुक्त नगर पालिक निगम भिलाई का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।

कार्यपालन अभियंता नगर पालिक निगम भिलाई	सहायक अभियंता नगर पालिक निगम भिलाई	उपअभियंता नगर पालिक निगम भिलाई

विषय – तुम्हर शहर तुम्हर जिम्मेदारी के तहत्
राम नगर मुक्तिधाम के विकास कार्य हेतु **EOI**

ऑफर दर "स"

क	कार्य का नाम	दर	दर शब्दों में

सील / हस्ताक्षर